

रिस्तेदार बनकर अंजान व्यक्ति द्वारा से फ्राड की गयी धनराशि 35,000/- (पैतीस हजार) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना घोसी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये रिस्तेदार बनकर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 35,000/- (पैतीस हजार) रुपये पीडित खुशीद अहमद थाना घोसी जनपद मऊ की कुल 35,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

1. उपनिरीक्षक प्रकाश सिंह (नोडल अधिकारी)
2. उपनिरीक्षक दिनेश यादव (सहायक नोडल अधिकारी)
3. हेड ऑपरेटर अरविंद यादव
4. महिला आरक्षी काजल सिंह
5. महिला आरक्षी पुष्पलता पांडे

यूट्यूब चैनल मोनोटाइज करने के नाम अंजान व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम फ्राड की गयी धनराशि 9899/- (नौ हजार आठ सौ निन्यानवे) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना घोसी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूट्यूब चैनल मोनोटाइज करने के नाम अंजान व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम फ्राड की गयी धनराशि 9899/- (नौ हजार आठ सौ निन्यानवे) रुपये पीडित बबलू चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी बेलचौरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 9899 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम

पुलिस थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

1. प्र०नि० संजय सिंह
2. नोडल उ०नि० विकास
3. म०उ०नि० कोमल कसौधन
4. क०आ० आशीष द्विवेदी
5. म०का० शिखा तिवारी
6. का० धर्मेन्द्र पुष्पाकर।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना चिरैयाकोट पुलिस वारंटी अभियुक्तगण प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी नेतपुर थाना जहानगंज जनपद आजमगढ़, 2 केदार पुत्र गनेश निवासीगण भीखमपुर थाना चिरैयाकोट मऊ।

आपरेेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹3000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मानिट्रिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा० न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 20-03-2026 को मु०अ०सं० 356/2013 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद में दोषसिद्ध अभियुक्त ओमप्रकाश यादव पुत्र इंद्रकेश यादव थाना उदारन तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹3000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 07 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।